बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्

परिवेश भवन, पाटलिपुत्र औद्योगिक क्षेत्र रोड, पटना-800 010

दूरभाष नं0-0612-2261250/2262265, फैक्स-0612-2261050

ई-मेल-bspcb@yahoo.com, वेबसाईट-http://bspcb.bih.nic.in

पत्रांक पी.सी.-105/प्रेस विज्ञप्ति/2018/ 744 **दिनांक 31-05-2018**

प्रेस विज्ञप्ति

बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् पर्यावरणीय अधिनियमों/नियमों की अवहेलना कर चलाये जा रहे उद्योगों पर कार्रवाई करती है। ऐसी कार्रवाई राज्य पर्षद् से सहमति प्राप्त किये बिना अवैध रूप से संचालित इकाईयों पर की जाती है, तथा उन इकाईयों पर भी की जाती है जो राज्य पर्षद् से सहमति प्राप्त कर संचालित होने के बावजूद प्रदूषण नियंत्रण के निर्धारित मापदंडों का अनुपालन नहीं करते हैं।

1. माननीय हरित न्यायाधिकरण के निदेशानुसार वैसे ईंट-भठ्ठे जिन्हें अन्य प्राधिकारों से अनुमति प्राप्त है परन्तु विहित प्राधिकार से पर्यावरणीय स्वीकृति (EC) एवं राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् से संचालन हेतु सहमति (Consent to Operate) प्राप्त किये बिना संचालित हैं, वे अवैध माने जायेंगे।

बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् द्वारा मई माह के दौरान नियमों की अवहेलना कर राज्य में चलाये जा रहे कुल 175 ईंट-भठ्ठा इकाईयों को बंद करने का आदेश (Closure Direction) जारी किया गया है, जिसमें पटना जिला के- 71, मधुबनी के- 39, मुजफ्फरपुर के- 23, पूर्वी चम्पारण के- 21, पश्चिमी चम्पारण के- 16 सारण के - 03, सिवान के- 01, वैशाली के- 01 इकाईयाँ शामिल हैं। Closure Direction की प्रति जिला पदाधिकारी को देते हुए चिन्हित ईंट-भठ्ठा इकाइयों को बन्द कराने हेतु अनुरोध किया गया है।

इसके अतिरिक्त राज्य की कुल 41 ईंट-भठ्ठा इकाईयों को Proposed Direction जारी किया गया है। पटना के 16 ईंट-भटठों के विरूद्ध परिवाद वाद दायर किया गया है।

2. अस्पतालों, नर्सिंग होम, पैथॉलोजिकल जॉच घर एवं अन्य स्वास्थ्य केन्द्रों से जनित होने वाले जीव-चिकित्सा अपशिष्ट संक्रामक प्रकृति के होते हैं जिनसे मानव स्वास्थ्य एवं पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, अतः इनका समुचित उपचार एवं निपटान अतिआवश्यक है। परित्यक्त औषधिओं के समुचित प्रबंधन नहीं होने से मृदा एवं भूगर्भीय जल के प्रदूषित होने का भी खतरा रहता है। पर्षद् द्वारा लगातार प्रयासों के बावजूद स्वास्थ्य केन्द्रों के संचालक इन अपशिष्टों के उचित निपटान के प्रति गंभीर प्रतीत नहीं होते है। अधिकतर श्य्यायुक्त अस्पतालों में नियमावली के प्रावधानों के अनुरूप तरलीय रासायनिक जीव-चिकित्सा अपशिष्टों के उपचार हेतु बहि:स्राव उपचार संयंत्र (ETP) की स्थापना नहीं की गयी है एवं इस हेतु जल(प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के अन्तर्गत पर्षद् से सहमति प्राप्त नहीं की गयी है। ऐसे अस्पतालों एवं अन्य स्वास्थ्य केन्द्रों यथा पैथॉलोजिकल जॉच घर, क्लिनिक आदि द्वारा सही ढ़ंग से जीव-चिकित्सा अपशिष्टों का पृथ्ककरण नहीं किया जा रहा है एवं सामूहिक जीव-चिकित्सा

अपशिष्ट उपचार केन्द्रों के माध्यम से इसका उपचार एवं निपटान सुनिश्चित नही किया जा रहा है। इस हेतु पर्षद् से कई बार समाचार पत्रों एवं अन्य माध्यम से नोटिस जारी किये जा रहे हैं, परन्तु उचित प्रभाव नहीं होने के कारण पर्षद् कठोर कदम उठाने को विवश है।

जीव-चिकित्सा अपशिष्ट का सही ढ़ंग से प्रबंधन नहीं करने अथवा बहि:स्राव उपचार संयंत्र (ETP) की व्यवस्था नहीं किये जाने अथवा ETP का सही तरीके से नियमित संचालन नहीं करने तथा पर्षद् से बगैर सहमति/प्राधिकार के संचालित रहने के कारण 14 चिकित्सालयों :- आरोही हॉस्पीटल, शेखपुरा बेली रोड, पटना; रई नर्सिंग होम, राजाबाजार, पटना; सत्यम हॉस्पीटल, शेखपुरा बेली रोड, पटना; न्यू मैक्स केयर हॉस्पीटल, राजाबाजार, पटना; गेटवेल हॉस्पीटल, राजाबाजार, पटना; महावीर वात्स्लय अस्पताल, ईस्ट सदाकत आश्रम, पटना; महावीर आरोग्य संस्थान, कंकड़बाग, पटना; पाटलिपुत्र डिवाइन हॉस्पीटल प्रा. लि., कंकड़बाग, पटना; चाणक्य हॉस्पीटल, कंकड़बाग, पटना; अनुपमा हॉस्पीटल, खजांची रोड, पटना; पॉपुलर नर्सिंग होम, अशोक राजपथ ,पटना; श्री राम हॉस्पीटल एण्ड रिसर्च सेंटर, कंकड़बाग, पटना; राजेन्द्र नगर हॉस्पीटल, राजेन्द्र नगर, पटना एवं अटलांटिस सुपर स्पेशिएलिटी हॉस्पीटल, नियर रूपसपुर आर.ओ.बी., पश्चिमी बेली रोड, पटना को **''Proposed Closure Direction"** जारी किया गया है।

इन सभी से कारण पृच्छा की गई है कि पर्यावरणीय नियमों के अवहेलना के मद्देनजर क्यों नहीं इन्हें बंद करा दिया जाय?

इसके अतिरिक्त जीव-चिकित्सा अपशिष्ट के सही प्रबंधन हेतु निम्नांकित **08 इकाईयों को आवश्यक** सुधार हेतु निदेश (**Direction)** जारी किये गये हैं:-

महावीर कैंसर संस्थान, फुलवारीशरीफ, पटना; रूबन इमरजेंसी हॉस्पीटल, एस.पी. वर्मा रोड, पटना; कुर्जी होली फैमली हॉस्पीटल, कुर्जी, पटना; जीवक हार्ट हॉस्पीटल, कंकड़बाग, पटना; अरविन्द हॉस्पीटल प्रा. लि., अशोक राजपथ, पटना; रामरतन हॉस्पीटल, बाजार समिति के निकट, पटना; सिनर्जी वेस्ट मैनेजमेंट प्रा. लि. भागलपुर एवं मेडिका मगध हॉस्पीटल, राजेन्द्र नगर, पटना।

3. होटल एवं बैंक्वेट हॉल के स्थापना हेतु जल(प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनिमय, 1974 के तहत स्थापनार्थ सहमति (Consent to Establish) प्राप्त करना, ठोस कचरों के समुचित निपटान की व्यवस्था करना तथा बिना ध्वनि अवरोधक के जेनरेटर संचालित नहीं करना, वैधानिक दायित्व है।

बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् द्वारा अखबारों के माध्यम से सूचना दिये जाने के बावजूद राज्य पर्षद् से सहमति प्राप्त किये बिना संचालित पाये जाने अथवा डी.जी. सेट का अवैध संचालन करने अथवा ठोस अपशिष्ट का सही प्रबंधन नहीं करने के कारण **निम्नांकित सात होटलों/ बैक्वेंट हॉल को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है:-**

सर्वश्री होटल राजस्थान, फ्रेजर रोड, पटना; सर्वश्री ममता रेस्टोरेन्ट, फ्रेजर रोड, पटना; सर्वश्री सत्कार इन्टरनेशनल, फ्रेजर रोड, पटना; सर्वश्री होटल आर्ची इन, फ्रेजर रोड, पटना; सर्वश्री होटल मयूर, फ्रेजर रोड, पटना; सर्वश्री होटल एस्टर, फ्रेजर रोड, पटना; सर्वश्री सम्राट इन्टरनेशनल फ्रेजर रोड, पटना।

4. परिसर के बाहर, बिना उपचारित बहि:स्राव उत्सर्जित करने के कारण राज्य की एक **बॉयो-फ्यूएल इकाई सर्वश्री एच.पी.सी.एल लिमिटेड, सुगौली**, पूर्वी चम्पारण को पूर्व में **''Proposed Closure Direction''** जारी किया गया था।

इकाई से प्राप्त स्पष्टीकरण के आलोक में इकाई से 20 लाख की बैंक गारंटी जमा करायी गयी है तथा उसे परिसर के बाहर बहि:स्रावित जमा जल का उपचार करने का निदेश दिया गया है।

5. राज्य के अन्य उद्योगों में से राज्य पर्षद् से सहमति के बगैर संचालित 7 **राईस मिल** इकाइयों को बंद करने हेतु निदेश **(Closure Direction)**, 4 इकाइयों को **''Proposed Closure Direction''** एवं 01 इकाई को **'Direction'** जारी किया गया है।

वीरेन्द्र कुमार
31.05.2018
(वीरेन्द्र कुमार)
जन-सम्पर्क पदाधिकारी